

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 749/13

संस्थापन दिनांक : 20.09.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

- 1–धनीराम पुत्र रामभरोसे कुशवाह उम्र 45 साल
 - 2–अर्जुनसिंह पुत्र धनीराम कुशवाह उम्र 20 साल
 - 3–रमेश पुत्र रामभरोसे कुशवाह उम्र 35 साल
 - 4–श्रीमंतसिंह पुत्र भावसिंह कुशवाह उम्र 26 साल
- निवासीगण ग्राम गंगापुरा थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त धनीराम के विरुद्ध धारा 294, 323, 323/34, 324, 324/34, 506 भाग दो एवं अभियुक्त अर्जुन के विरुद्ध धारा 294, 324, 323, 324/34, 323/34, 506 भाग दो एवं अभियुक्त रमेश के विरुद्ध धारा 294, 324/34, 323, 324, 506 भाग दो एवं अभियुक्त श्रीमंतसिंह के विरुद्ध धारा 294, 324/34, 323/34, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22.07.13 को दिन के 12 बजे या उसके लगभग ग्राम गंगापुर स्थित नैना वाले खेत पर सहअभियुक्तगण के साथ फरियादी सुधाराम अ.सा.1 को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त धनीराम व अर्जुन ने काटने वाले हथियार कुल्हाड़ी से फरियादी सुधाराम अ.सा.1 की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा सहअभियुक्त अर्जुन, रमेश ने फरियादी सुधाराम अ.सा.1 की कुल्हाड़ी की मूठ से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा सहअभियुक्त रमेश ने काटने के हथियार कुल्हाड़ी से अमरसिंह अ.सा.2 के पेट में मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा सहअभियुक्त धनीराम ने रामश्री अ.सा.3 व आरोपी रमेश ने प्रेमवती

अ.सा.4 तथा श्रीराम अ.सा.6 के सिर में कुल्हाड़ी के मूठ से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा अभियुक्तगण ने फरियादी सुधाराम अ.सा.1 को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा फरियादी सुधाराम अ.सा.1 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपरधिक अभित्रास कारित किया।

2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.06.03 को दोपहर 12:00 बजे की ग्राम गंगापुर स्थित नौनावाले खेत की घटना है उक्त खेत फरियादी सुधाराम अ.सा.1 के भाई अमरसिंह अ.सा.2 ने 15 वर्ष पूर्व चालीस हजार रुपये में धनीराम से खरीदा था खेत चार बीघा का है लेकिन घरोवा में बयनामा नहीं कराया था लेकिन खेत को सुधाराम अ.सा.1 जोतते था। घटना दिनांक को धनीराम टैक्टर से जोतने लगा तब सुधाराम अ.सा.1 ने मना किया तब रमेश ने सुधाराम अ.सा.1 के सिर में कुल्हाड़ी मारी, धनीराम ने दाहिने हाथ की कलाई में कुल्हाड़ी मारी, अर्जुन ने बांये हाथ के अंगूठे में कुल्हाड़ी मारी, रमेश ने सुधाराम अ.सा.1 के बांये बखा में कुल्हाड़ी की मूठ मारी। अमरसिंह अ.सा.2 बचाने आये तो रमेश ने अमरसिंह अ.सा.2 के पेट में कुल्हाड़ी मारी। श्रीराम को रमेश ने कुल्हाड़ी की मूठ मारी जो दांये पैर के घुटने में लगी, रमेश ने श्रीराम के कुल्हाड़ी की मूठ मारी जो दाहिने बखा में लगी रामश्री अ.सा.3 को धनीराम ने कुल्हाड़ी की मूठ मारी, प्रेमवती अ.सा.4 को रमेश ने कुल्हाड़ी की मूठ मारी जो माथे पर लगी, रमेश ने कमर में पटक कर चोट मारी, सुरेश व श्रीराम आ गये तब श्रीमंत ने अश्लील गालियां देकर रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात फरियादी सुधाराम अ.सा.1 ने थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अप0क्र0 100/16 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में साक्षी रमेश ब0सा01 को परीक्षित कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :-
 1. क्या दिनांक 22.07.13 को दिन के 12 बजे या उसके लगभग ग्राम गंगापुर स्थित नौना वाले खेत पर आरोपीगण ने सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में सुधाराम अ.सा.1 व अमरसिंह अ.सा.2 की कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में रामश्री अ.सा.3, सुधाराम अ.सा.1, प्रेमवती अ.सा.4 तथा श्रीराम अ.सा.6 की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छा उपहति कारित की ?
 3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी सुधाराम अ.सा.1 को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
 4. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सुधाराम अ.सा.1 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपरधिक अभित्रास कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी सुधाराम अ.सा.1 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है क्योंकि वह गांव के हैं। वर्ष 2013 के ज्येष्ठ माह की तारीख 22 की घटना है दिन के 12 बजे वह खेत पर कांटे बीन रहा था। नौना वाला खेत उसने धनीराम से खरीदा था जो 15-16 वर्ष पहले खरीदा था लेकिन उसने बयाना नहीं कराया था और घरोवा में ही काम कर रहा था। घटना दिनांक को आरोपीगण टैक्टर लेकर खेत पर आ गये और खेत जोतने के लिए टैक्टर चलाने लगे सुधाराम अ.सा.1 ने मना किया तो रमेश ने उसे सिर के पीछे कुल्हाड़ी मारी तब उसने सिर पर हाथ रख लिया धनीराम ने दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी मारी, अर्जुन ने बांये हाथ के अंगूठे में कुल्हाड़ी मारी, रमेश ने बांये कंधे पर कुल्हाड़ी मारी फिर वह बेहोश हो गया उसे बचाने अमरसिंह अ.सा.2 आया तो रमेश ने उसे कुल्हाड़ी मारी जो पेट में लगी और आंते निकल आई। रामश्री अ.सा.3 को धनीराम ने कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी। प्रेमवती अ.सा.4 को रमेश ने सिर में कुल्हाड़ी मारी श्रीराम अ.सा.6 बचाने आया तो सभी आरोपीगण ने उसे पैर में कुल्हाड़ी मारी जिससे दोनों पैर में चोट आई। इसके बाद उसका बेटा सुनील आया जो टैक्टर से रिपोर्ट करने के लिए ले गया और उसने एफ.आई.आर. प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। झगड़े वाले स्थान पर पुलिस आई थी और नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान लिया था और अस्पताल ले गयी थी।
6. अमरसिंह अ.सा.2 ने भी सुधाराम अ.सा.1 के कथन का समर्थन किया है कि आरोपीगण ने सुधाराम अ.सा.1 और उसे 15-16 साल पहले नौना वाला खेत बेचा था जिसका बयाना नहीं कराया था और बयाना करने पर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि पैसे लौटा देंगे। तब माता बसैया पर पंचायत जोड़ी थी। लेकिन आरोपीगण ने जबरदस्ती खेत जोत लिया और उनके पास कुल्हाड़ी थी। जब सुधाराम अ.सा.1 ने मना किया तो रमेश ने सुधाराम अ.सा.1 के सिर में कुल्हाड़ी मारी और दूसरी हाथ में व तीसरी कुल्हाड़ी भी हाथ में मारी। धनीराम ने सुधाराम अ.सा.1 के लाठी मारी, रमेश ने उसके पेट पर कुल्हाड़ी मारी फिर वह बेहोश हो गया। श्रीराम अ.सा.6, रामश्री अ.सा.3 और श्रीराम की बहू प्रेमवती अ.सा.4 के झगड़े में बाद में चोट आई थी। लेकिन उसे नहीं मालूम कि किसने मारा और अभियोजन के सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 22.06.13 के 12 बजे की है और कथन प्र0पी-3 में उसने बताया था कि रमेश ने श्रीराम अ.सा.6 के बांये पैर के घुटने में कुल्हाड़ी मारी और दाहिने बख्खा में मारी इस सुझाव को स्वीकार किया है कि श्रीराम अ.सा.6 के धनीराम ने कुल्हाड़ी की मूठ सिर में मारी और प्रेमवती अ.सा.4 को रमेश ने माथे पर कुल्हाड़ी मारी और श्रीमंत ने रास्ता रोककर कहा था कि अगर रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे।
7. रामश्री अ.सा.3 ने भी सुधाराम अ.सा.1 और अमरसिंह अ.सा.2 के कथन का समर्थन किया है कि सुधाराम अ.सा.1 उसका पति है और वर्ष 2013 में दोपहर 12 बजे जब उसे आवाज सुनाई दी तब वह नौना वाले खेत पर गयी तब रमेश ने सुधाराम अ.सा.1 के सिर में कुल्हाड़ी मारी और धनीराम ने सुधाराम अ.सा.1 के कुल्हाड़ी मारी जिसे रोकने पर बांये हाथ की कलाई में लगी और दूसरी कुल्हाड़ी अर्जुन ने सुधाराम अ.सा.1 के अंगूठे में मारी, धनीराम ने दाहिने कंधे पर सुधाराम

अ.सा.1 के कुल्हाड़ी मारी धनीराम ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी, रमेश ने उसकी देवरानी के सिर में व श्रीराम अ.सा.6 के बांये पैर की पिंडली में कुल्हाड़ी मारी, अमरसिंह अ.सा.2 को रमेश ने पेट में कुल्हाड़ी मारी। श्रीराम अ.सा.6 ने बीच बचाव किया था और सुरेश भी बचाने आया था। श्रीमंत ने कट्टे से धमकी दी थी कि मार देंगे तब वह घर में आ गये और दो घण्टे बाद रिपोर्ट करने गये थे।

8. प्रेमवती अ.सा.4 ने भी सुधाराम अ.सा.1 और अमरसिंह अ.सा.2 के कथन का समर्थन किया है कि वर्ष 2013 में दोपहर 12 बजे जब सुधाराम अ.सा.1 नौना वाले खेत पर कांटे बीन रहा था तब धनीराम टैक्टर लेकर खेत पर गया और सुधाराम अ.सा.1 ने कहा कि खेत उसने खरीदा है तो धनीराम ने सुधाराम अ.सा.1 के सिर में व हाथों में कुल्हाड़ी मारी, रमेश ने अमरसिंह अ.सा.2 के कुल्हाड़ी मारी जिससे आंते निकल आई तब उसने साफी बांध ली वह और रामश्री अ.सा.3 सरसों बीन रही थी तब रमेश ने उसके हाथ में कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी और वह बेहोश हो गयी। रामश्री अ.सा.3 को रमेश ने सिर में कुल्हाड़ी मारी, अर्जुन ने टैक्टर घुमाया जो अर्जुन के पिता को लगा। श्रीमंत कट्टा लेकर आ गया फिर वह घर पर गये तो आरोपीगण थाने पर पहुंच गये और उन पर केस कर दिया और अभियोजन के सुझाव को स्वीकार किया है कि अर्जुन ने धनीराम के कुल्हाड़ी अंगूठे में मारी थी और एक सिर में मारी और इस सुझाव से इंकार किया है कि अमरसिंह अ.सा.2 ने रमेश के पैर में कुल्हाड़ी मारी यह स्वीकार किया है कि श्रीराम को रमेश ने घुटने में कुल्हाड़ी मारी और रामश्री अ.सा.3 को धनीराम ने कुल्हाड़ी मारी और इस सुझाव से इंकार किया है कि रमेश ने सुधाराम अ.सा.1 को जमीन पर पटक दिया था और यह स्वीकार किया है कि श्रीमंत ने जान से मारने की धमकी दी थी।
9. श्रीराम अ.सा.6 ने कथन किया है कि जब अमरसिंह अ.सा.2, सुधाराम अ.सा.1 खेत जोत रहे थे तब छुन्नी और रमेश ने आकर रोका तथा छुन्नी व रमेश ने अमरसिंह अ.सा.2 व सुधाराम अ.सा.1 के कुल्हाड़ी मारी जो अमरसिंह अ.सा.2 के पेट में व सुधाराम अ.सा.1 के सिर व कंधे में लगी। छुन्नी व रमेश टैक्टर लेकर भाग गये तब वह स्वयं टैक्टर से गिर गये जिनसे उन्हें चोटें आईं। सुरेश ने घटना से अनभिज्ञता व्यक्त की है और सुझाव स्वरूप भी पूछे जाने पर इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण ने आहतगण की मारपीट की थी।
10. साक्षी डॉ० आर० विमलेश अ०सा०५ का कथन है कि वह दिनांक 22.06.13 को सी०एच०सी० गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत सुधाराम अ.सा.1 पुत्र नादरी उम्र 50 वर्ष निवासी गंगापुरा को थाना मौ के कांस्टेबल 472 पुरुषोत्तम थाना मौ द्वारा लाये जाने पर उसके द्वारा निम्नानुसार चिकित्सीय परीक्षण किया गया। चोट नं०1 फटा हुआ घाव जिसके किनारे कुचले या अनियमित आकार में थे घाव का आकार 2गुणा1/2 से.मी.गुणा मांसपेशी तक गहरा बांये हाथ के अंगूठे के निचले भाग पर था। चोट नं०2 कटा हुआ घाव 2.5गुणा1/2से.मी.गुणा मांसपेशी तक गहरा दाहिनी भुजा के आगे के हिस्से पर था। चोट नं०3 फटा हुआ घाव 2.3गुणा1/4से.मी.गुणा हड्डी तक गहरा दाहिनी ओर सिर में था। चोट नं०4 नील निशान 4.3गुणा1.5से.मी. साथ में खरोंच 1से.मी.गुणा1/2 से.मी. बांये कंधे के जोड़ पर थी। चोट नं० 1 एवं 4 सख्त एवं कुंद वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी। चोट नं०2 व 3 धारदार वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी। चोट नं० 2 व 3 की प्रकृति जानने के लिए एक्स-रे की

सलाह दी गयी थी। उसके मतानुसार उक्त समस्त चोटें मेरे परीक्षण से 12 घण्टे के भीतर की अवधि की थी। चोट नं01 साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-4 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी कांस्टेबल द्वारा लाये जाने पर आहत अमरसिंह अ.सा.2 पुत्र नादरी निवासी गंगापुरा का चिकित्सीय परीक्षण उसके द्वारा निम्नानुसार किया गया था। चोट नं01 कटा हुआ घाव 2.5गुणा1/2 से.मी.गुणा मांसपेशी तक गहरा बांयी ओर पेट में बाहर की तरफ था। यह चोट कठोर एवं धारदार वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी जो परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की थी। जिसकी प्रकृति जानने के लिए आहत को जिला अस्पताल भिण्ड रैफर किया गया था। बाद में भर्ती होने के पश्चात ही प्रकृति का पता लगाया जा सकता था। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी कांस्टेबल द्वारा लाये जाने पर आहत श्रीराम अ.सा.6 पुत्र नादरी निवासी गंगापुरा का चिकित्सीय परीक्षण निम्नानुसार किया गया। चोट नं01 नीलगू निशान 3गुणा2से.मी. थी यह चोट बांये पैर में बाहर की ओर थी। चोट नं02 नील निशान 3गुणा2से.मी. बांये पैर की पिंडली पर थी। चोट नं03 फटा हुआ घाव 2.3गुणा1/4से.मी. गुणा मांसपेशी तक गहरा दांयी ओर पीठ के उपरी हिस्से में था। उसके मतानुसार उक्त समस्त चोटें सख्त एवं मौंथरी वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती हैं जो मेरे परीक्षण से 12 घण्टे के भीतर की थी। चोट नं01 व 2 की प्रकृति जानने के लिए एक्स-रे की सलाह दी गयी थी। चोट नं03 साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-6 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी कांस्टेबल द्वारा लाये जाने पर आहता प्रेमवती अ.सा.4 पत्नी श्रीराम निवासी गंगापुरा का चिकित्सीय परीक्षण उसके द्वारा किया गया था जो निम्न है। चोट नं01 नील निशान 3.1गुणा1/2से.मी. दांये ललाट पर था। यह चोट सख्त एवं मौंथरी वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी जो उसके परीक्षण से 12 घण्टे की अवधि की होकर साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी कांस्टेबल द्वारा लाये जाने पर आहता रामश्री अ.सा.3 पत्नी सुधाराम अ.सा.1 निवासी गंगापुरा का चिकित्सीय परीक्षण निम्नानुसार उसके द्वारा किया गया था। चोट नं01 फटा हुआ घाव 2गुणा1/4से.मी.गुणा मांसपेशी तक गहरा दांयी ओर सिर में था। यह चोट सख्त एवं कुंद वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी जो उसके परीक्षण से 12 घण्टे की अवधि की होकर साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. रमेश ब.सा.1 ने कथन किया है कि उसकी मारपीट सुधाराम अ.सा.1, अमरसिंह अ.सा.2, श्रीराम अ.सा.6, सुरेन्द्र ने की थी जिसकी एफ.आई.आर. प्र0पी-3 उसने की थी। उसका मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-5 व उसके भाई का मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-4 के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। नक्शामौका प्र0पी-6 है, अधिकार अभिलेख प्र0पी-7 है, विक्रय पत्र प्र0पी-8 है और क्रॉस प्र0क्र0 280/13 के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी-1 है।
12. सुधाराम अ.सा.1 ने पैरा 4 में भी स्वीकार किया है कि उन्होंने बयनामा नहीं कराया और उसने पंचनामा बनवाया था लेकिन पंचनामा भी प्रकरण में पेश नहीं है और पैरा 5 में बताया है कि उसने 16 साल पहले चालीस हजार रुपये में भूमि खरीदी थी। अमरसिंह अ.सा.2 ने भी पैरा 6 में स्वीकार किया है कि नौना वाले

खेत के धनीराम व रमेश मालिक थे जिन्होंने रामकिशन और दौलत से वर्ष 1992 में खरीदा था और उन्हीं का नामांतरण हो गया है। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत बयानामा प्र0डी-8 के अनुसार धनीराम और रमेश ने नौना वाला खेत खरीदने के विक्रय पत्र की प्रति पेश की है। अतः विक्रय पत्र व अधिकार अभिलेख प्र0पी-7 के अनुसार विवादित भूमि के भूमि स्वामी आरोपीगण हैं। अतः प्रस्तुत साक्ष्य से यही प्रतीत होता है कि फरियादीगण आरोपीगण के खेत में गये थे। अतः आरोपीगण आक्रमणकारी नहीं हैं। इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद के प्र0क्र0 280/13 राज्य बनाम अमरसिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 2. 12.14 प्र0डी-1 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके अनुसार अमरसिंह अ. सा.2, सुधाराम अ.सा.1 व श्रीराम अ.सा.6 को इस प्रकरण की घटना दिनांक समय व स्थान में ही अभियोजित घटना के लिए अन्य आरोपी के साथ धनीराम, रमेश, अर्जुन, को स्वेच्छया उपहति और घोर उपहति और खतरनाक हथियार से घोर उपहति कारित करने के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जा चुका है।

13. सुधाराम अ.सा.1 ने पैरा 3 में स्वयं को दोषसिद्ध घोषित किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया है और अमरसिंह अ.सा.2 ने भी पैरा 7 में स्वयं को फरियादी की रिपोर्ट पर दोषसिद्ध घोषित किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। रामश्री अ.सा.3 ने पैरा 3 में और प्रेमवती अ.सा.4 ने पैरा 3 में निर्णय प्र0डी-1 के अनुसार दोषसिद्ध घोषित किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। अतः फरियादी पक्ष भी सक्षम न्यायालय से कॉस प्रकरण में दोषसिद्ध घोषित किए जा चुके हैं। अतः चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0डी-4 व प्र0डी-5 के अनुसार आरोपीगण को आई चोटें अभियोजन द्वारा स्पष्ट की जाना आवश्यक हैं। इस संबंध में बचाव पक्ष ने न्यायदृष्टांत हरभजन बनाम राज्य 1989 जे.एल.जे. 217, कन्हेदी बनाम राज्य 1991 जे.एल.जे. 6, हीरालाल बनाम राज्य 1994 जे.एल.जे. 183, अर्जुन व अन्य बनाम राज्य 1995 जे.एल.जे. 446 पर ध्यान आकर्षित कराया है जिसके अनुसार अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण की चोटों को भी स्पष्ट करे। जिसके अभाव में अभियोजन मामले पर संदेह उत्पन्न होता है। अतः आरोपीगण को आई चोटों को भी स्पष्ट करने के लिए अभियोजन दायित्ववान हैं।

14. आरोपीगण की चोटों के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत AIR 1998 SUPREME COURT 3117 Ram Sunder Yadav and others v. State of Bihar में प्रतिपादित किया गया है कि

It has now been brought to our notice that earlier a three-Judge Bench of this Court had considered the above questions in *Baba Nanda Sarma v. State of Assam* (1977) 4 SCC 396 : (AIR 1977 SC 2252) and held that the prosecution is not obliged to explain the injuries on the person of accused in all cases and in all circumstances and according to the learned Judges, it is not the law. The same question again came up for consideration before another three-Judge Bench of this Court in *Vijayee Singh v. State of U.P.*, (1990) 3 SCC 190 : (AIR 1990 SC 1459), wherein it has been held as under (at pp. 1465 and 1466 of AIR) :

" In *Mohar Rai* case (1968) 3 SCR 525 : (AIR 1968 SC

1281), it is made clear that failure of the prosecution to offer any explanation regarding the injuries found on the accused may show that the evidence related to the incident is not true or at any rate not wholly true. Likewise in Lakshmi Singh case (1976) 4 SCC 394 : (AIR 1976 SC 2263) also it is observed that any non-explanation of the injuries on the accused by the prosecution may affect the prosecution case. But such a non-explanation may assume great importance where the evidence consists of interested or inimical witnesses or where the defence gives a version which competes in probability with that of the prosecution. But where the evidence is clear, cogent and creditworthy and where the court can distinguish the truth from falsehood the mere fact that the injuries are not explained by the prosecution cannot by itself be a sole basis to reject such evidence, and consequently the whole case."

15. अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत के अनुसार यह विधि का सिद्धांत नहीं है कि अभियोजन प्रत्येक दशा में आरोपीगण की चोटों को स्पष्ट करे और अगर उसका स्वयं का मानना विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित है तब केवल यही कारण दोषमुक्ति का कारण नहीं हो सकता है।
16. अतः वर्तमान प्रकरण में अभियोजित घटना से उद्भूत क्रॉस प्रकरण में इस प्रकरण के फरियादी व आहत सुधाराम अ.सा.1 व अमरसिंह अ.सा.2 को दोषसिद्ध घोषित किया गया है। अतः प्राइवेट प्रतिरक्षा को प्रमाणित करने का भार आरोपीगण पर है कि उनके द्वारा स्वयं के शरीर अथवा संपत्ति की अभिरक्षा के कारण अभियोजित घटना घटित की गयी है लेकिन बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में सिविल न्यायालय का विनिश्चय प्रकरण में पेश नहीं किया गया है जिसके अनुसार आरोपीगण का अधिपत्य सिविल न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया हो। जबकि इस संबंध में सुधाराम अ.सा.1 को पैरा 5 व अमरसिंह अ.सा.2 को पैरा 6 में सुझाव दिए गए हैं जो उन्होंने स्वीकार किए हैं विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में भी प्रकरण लंबित है। अतः आरोपीगण के पास फरियादी व आहतगण के खेत पर आने पर स्वयं के बचाव हेतु पुलिस के पास जाने का पर्याप्त समय नहीं था यह तथ्य भी प्रमाणित करने का भार बचाव पक्ष पर ही रहता है कि पर्याप्त समय न होने से प्राइवेट प्रतिरक्षा में उनके द्वारा आहतगण को उपहति कारित की गयी है क्योंकि आहतगण में महिलायें भी सम्मिलित हैं और सुधाराम अ.सा.1 ने पैरा 5 में इंकार किया है कि उसने धनीराम को खेत जोतने से रोका था। और पैरा 8 में इंकार किया है कि उसने स्वयं चोटें बनाकर कार्यवाही की है और आरोपीगण की मारपीट करने पर उनके द्वारा बचाव किए जाने से ही आहतगण को चोटें आई हैं। अतः प्राइवेट प्रतिरक्षा के तथ्यों से सुधाराम अ.सा.1 ने इंकार किया है। अमरसिंह अ.सा.2 ने भी पैरा 8 में इंकार किया है कि वह सुधाराम अ.सा.1, श्रीराम अ.सा.6, सुरेन्द्र कुल्हाड़ी लेकर खेत पर पहुंचे थे और खेत पर कब्जा करने के लिए आरोपीगण की मारपीट की। ओर इंकार किया है कि रमेश स्वयं के बचाव के लिए कुल्हाड़ी उठा रहा था। अतः अमरसिंह अ.सा.2 ने भी आक्रमक होकर प्राइवेट प्रतिरक्षा के बचाव से इंकार किया है। प्रेमवती ब.सा.4 ने पैरा 8 में कथन किया है कि अगर धनीराम खेत जोत रहा हो तो वह नहीं बता सकती। अतः प्रेमवती अ.सा.

4 ने भी धनीराम की घटना के पूर्व ही घटनास्थल पर उपस्थिति स्पष्टतः स्वीकार नहीं की है।

17. सुधाराम अ.सा.1 ने पैरा 8 में स्वीकार किया है कि श्रीराम अ.सा.6 उसका भाई, प्रेमवती अ.सा.4 श्रीराम की पत्नी है। अमरसिंह अ.सा.2 ने भी पैरा 5 में स्वीकार किया है कि वह, सुधाराम अ.सा.1 और श्रीराम अ.सा.6 भाई हैं। रामश्री अ.सा.3 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि श्रीराम अ.सा.6 उसका देवर, अमरसिंह अ.सा.2 उसका जेठ और सुधाराम अ.सा.1 उसका पति है। प्रेमवती अ.सा.4 ने भी पैरा 3 में अमरसिंह अ.सा.2, सुधाराम अ.सा.1 व श्रीराम अ.सा.6 से नातेदारी स्वीकार की है। अतः सभी आहतगण परस्पर नातेदार हैं और स्वतंत्र साक्षी सुरेश ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अतः आहत साक्षीगण की ही साक्ष्य अभिलेख पर है। परन्तु इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आहत साक्षी प्रत्यक्ष साक्षी होते हैं और इस संबंध में न्यायदृष्टांत **भजनसिंह बनाम हरियाणा राज्य ए.आई. आर. 2011 सु.को.2552** में प्रतिपादित किया गया है कि आहत साक्षी के कथन पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उस पर अविश्वास किए जाने के कोई बड़े आधार न हों।
18. सुधाराम अ.सा.1 ने पैरा 3 में कथन किया है कि वह दिनांक 22.06.13 को बेहोश था और उसे 28.06.13 को होश आया था और तभी पुलिस ने उसका बयान लिया था और पैरा 8 में भी स्वीकार किया है कि दिनांक 28.06.13 को ही होश आने के बाद उसने एफ.आई.आर. की थी और बयान दिया था। लेकिन प्रकरण में एफ.आई.आर. घटना दिनांक को ही घटना के 5 घण्टे के अंदर अंकित की गयी है और घटनास्थल से थाने की दूरी 6 कि०मी० है। अतः सुधाराम अ.सा.1 ने एफ.आई.आर. अंकित करने की दिनांक में विरोधाभास बताया है लेकिन दिनांक 22.06.13 को उसने एफ.आई.आर. नहीं की ऐसा कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिया गया है अतः स्पष्टीकरण के अभाव में धरा 145 साक्ष्य अधिनियम के अधीन इस तथ्य का विरोधाभास नहीं माना जा सकता है और उसके पुलिस कथन दिनांक 27.06.13 को अंकित किए गए हैं। अतः एक दिवस का विरोधाभास तात्त्विक नहीं रहता है।
19. सुधाराम अ.सा.1 ने पैरा 7 में कथन किया है कि उसने कथन में रमेश द्वारा सिर के पीछे धार की तरफ से कुल्हाड़ी मारने वाली बात लिखा दी थी उसके पुलिस कथन में रमेश द्वारा सिर में कुल्हाड़ी मारना उल्लिखित है इसी प्रकार अमरसिंह अ.सा.2 ने पैरा 7 में बताया है कि उसने कथन प्र०पी-3 में रमेश द्वारा सुधाराम अ.सा.1 को धार की तरफ से कुल्हाड़ी मारने वाली बात लिखा दी थी। उसके कथन प्र०पी-3 में भी रमेश द्वारा सुधाराम अ.सा.1 के सिर में कुल्हाड़ी मारे जाने वाली बात लिखी है। प्रेमवती अ.सा.4 ने भी पैरा 10 में सुधाराम अ.सा.1 के धनीराम द्वारा धार की तरफ से कुल्हाड़ी मारे जाने के तथ्य का कथन प्र०डी-3 में लोप स्वीकार कर कारण नहीं बता सकी है। चिकित्सक द्वारा सुधाराम अ.सा.1 के उक्त चोट कटी हुई हड्डी तक गहरी उल्लिखित है और सभी साक्षीगण के कथन में सुधाराम अ.सा.1 के धनीराम द्वारा सिर में कुल्हाड़ी मारा जाना उल्लिखित किया गया है जिससे उक्त तथ्य लोप की श्रेणी में नहीं आता है।
20. सुधाराम अ.सा.1 ने पैरा 8 में कथन किया है कि उसने कथन प्र०डी-1 में धनीराम द्वारा धार की तरफ से कुल्हाड़ी मारना बता दिया था कथन प्र०डी-1 में धनीराम द्वारा दाहिने हाथ की कलाई में कुल्हाड़ी मारा जाना उल्लिखित है। चिकित्सक डॉ० आर०विमलेश ने बांये हाथ में मांसपेशी तक गहरी अनियमित

आकार की चोट सुधाराम अ.सा.1 के होना बताया है। मांसपेशी तक गहरी चोट मौथरी वस्तु से नहीं आ सकती है अतः उक्त तथ्य भी लोप की श्रेणी में नहीं आता है।

21. सुधाराम अ.सा.1 ने पैरा 8 में कथन किया है कि जब धनीराम ने कुल्हाड़ी मारी तब उसने दाहिना हाथ सिर पर रख लिया और उसके दाहिने हाथ में कोई चोट नहीं आई। अतः प्रत्येक वार पर चोट आना जो सदृश्य होना नहीं माना जा सकता है। अतः अगर सुधाराम अ.सा.1 ने सिर में प्रहार करते समय हाथ से रोक लिया और उसे चोट नहीं आई तो वह अस्वाभाविक नहीं है।
22. अमरसिंह अ.सा.2 ने पैरा 5 में बताया है कि उसने कथन प्र0पी-3 में सुधाराम अ.सा.1 के कांटे बीनने और स्वयं के डण्डा खोजने की बात लिखा दी थी। लेकिन कथन प्र0पी-3 में उक्त तथ्य उल्लिखित नहीं है। उक्त तथ्य आहत की घटनास्थल पर उपस्थिति का कारण प्रमाणित करने के लिए सुसंगत है इसलिए जबकि अमरसिंह अ.सा.2 ने घटनास्थल पर उपस्थिति का कारण विवादित खेत खरीदना बताया है तब कब्जे के कारण के लिए ही उक्त तथ्य सुसंगत है अन्यथा वह तात्विक विरोधाभास की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि अमरसिंह अ.सा.2 ने पैरा 7 में इंकार किया है कि उसका विवादित खेत पर कब्जा नहीं है।
23. अमरसिंह अ.सा.2 ने पैरा 8 में कथन किया है कि उसने कथन प्र0पी-3 में धनीराम के डण्डों से मारे जाने के तथ्य को लिखवाया था। लेकिन कथन प्र0पी-3 में उक्त तथ्य का लोप है। उक्त तथ्य आहत सुधाराम अ.सा.1 की उपहति के संबंध में है। अतः अमरसिंह अ.सा.2 के कथन से उक्त लोप सुधाराम अ.सा.1 के कथन को अविश्वसनीय नहीं बनाता है।
24. अमरसिंह अ.सा.2 ने पैरा 9 में भी कथन किया है कि पेट में कुल्हाड़ी लगने के बाद वह बेहोश हो गया था उसके बाद उसे नहीं मालूम कि किस आरोपी ने उसके भाई व बहुओं को मारा। लेकिन पैरा 9 में स्पष्टीकरण दिया है कि जब श्रीराम अ.सा.6 व सुधाराम अ.सा.1 लड़ रहे थे तब वह पहुंच गया था। अमरसिंह अ.सा.2 के पेट में धारदार हथियार से मांसपेशी तक गहरी चोट डॉ0 आर0विमलेश ने उल्लिखित किया है और पैरा 7 में स्वीकार किया है कि अमरसिंह अ.सा.2 की आंते बाहर नहीं निकली थी लेकिन वह बेहोश नहीं हुआ था ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है। अतः 65 वर्ष का वृद्ध आहत अमरसिंह अ.सा.2 पेट में ढाई गुणा आधा से.मी. मांसपेशी तक गहरी चोट से बेहोश न हुआ हो यह अस्वाभाविक नहीं है। परन्तु बेहोशी के उपरांत जबकि उसने स्वयं स्वीकार किया है कि उसे अपने भाई व बहुओं की मारपीट की जानकारी नहीं है तब अभियोजन के सुझाव में दिए गए कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।
25. अमरसिंह अ.सा.2 ने पैरा 8 में बताया है कि उसका कुर्ता कुल्हाड़ी के धाव से कट गया था जिसमें छेद हो गया था लेकिन डॉ0 आर0विमलेश ने प्रतिपरीक्षण में आहतगण के कपड़ों में कोई छिद्र नहीं पाया है। लेकिन उन्हें ऐसा भी सुझाव नहीं दिया गया है कि आहतगण वही कपड़े पहनकर गये थे जिसमें उन्हें उपहति कारित की गयी थी। अतः उक्त तथ्य विरोधाभासी नहीं माना जा सकता है।
26. रामश्री अ.सा.3 ने पैरा 2 में बताया है कि उसने सुधाराम अ.सा.1 के बांये हाथ की कलाई में कुल्हाड़ी से चोट आने वाली बात पुलिस को बता दी थी और स्वीकार किया है कि सुधाराम अ.सा.1 के दांये हाथ में कुल्हाड़ी नहीं मारी थी।

सुधाराम अ.सा.1 के बांये हाथ के अंगूठे और दांयी भुजा दोनों स्थान पर चिकित्सक द्वारा चोट का उल्लेख किया गया है अतः उक्त तथ्य विरोधाभास नहीं माना जा सकता है।

27. रामश्री अ.सा.3 ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने कथन प्र0डी-2 में अमरसिंह अ.सा.2 के पेट में दाहिनी तरफ कुल्हाड़ी मारा जाना बताया था कथन प्र0डी-2 में अमरसिंह अ.सा.2 के बांये तरफ पेट में कुल्हाड़ी मारा जाना उल्लिखित है। अतः पेट में कुल्हाड़ी मारा जाना तो उल्लिखित है मात्र स्थान का विरोधाभास है। जबकि अमरसिंह अ.सा.2 के प्रतिपरीक्षण में ऐसा विरोधाभास स्पष्ट नहीं हुआ है। उक्त तथ्य विरोधाभास नहीं माना जा सकता है क्योंकि रामश्री अ.सा.3 ने ही प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह आधे घण्टे बाद घटनास्थल पर पहुंची थी और मुख्यपरीक्षण में भी आवाज सुनने पर ही घटनास्थल पर पहुंचना बताया है अतः रामश्री अ.सा.3 आहत साक्षी है परन्तु वह सुधाराम अ.सा.1 और अमरसिंह अ.सा.2 की उपहति की प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है।
28. रामश्री अ.सा.3 ने पैरा 3 में बताया है कि उसे हाथ में कुल्हाड़ी मारी थी जो अंगूठे में लगी था लेकिन वह दांया था या बांया वह नहीं बता सकती। रामश्री अ.सा.3 ने मुख्यपरीक्षण में धनीराम द्वारा उसे सिर में मारा जाना बताया है और हाथ में चोट होना नहीं बताया है अतः जबकि चिकित्सक ने भी सिर में ही रामश्री अ.सा.3 की चोट बतायी है और मुख्यपरीक्षण में भी उसने सिर में ही चोट बतायी है तब हाथ में सदृश्य चोट न होने पर किस हाथ में उसे चोट आई यह बताने की असक्षमता रामश्री अ.सा.3 के कथन को अविश्वसनीय नहीं बनाती है। रामश्री अ.सा.3 ने पैरा 4 में बताया है कि धनीराम ने उसे धार की तरफ से कुल्हाड़ी मारी थी जबकि कथन प्र0डी-2 में उक्त तथ्य का लोप है जिसका वह कारण नहीं बता सकी है। डॉ0 आर0विमलेश ने सिर के पीछे फटा हुआ घाव कुंद वस्तु से आना रामश्री अ.सा.3 के पाया है और प्रतिपरीक्षण में उक्त चोट धार की तरफ से नहीं आ सकती ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है। अतः विशेषज्ञ अभिमत के अभाव में धनीराम द्वारा धार की तरफ से मारा जाना तात्त्विक लोप स्वतः नहीं माना जा सकता है।
29. रामश्री अ.सा.3 ने पैरा 3 में बताया है कि उसने कथन प्र0डी-2 में घटना के समय घर पर होने वाली बात लिखा दी थी और इस सुझाव से इंकार किया है कि जब वह खेत पर पहुंची तब झगड़ा हो चुका था। इस संबंध में पैरा 3 में बताया है कि नौना वाला खेत उसके घर से 5-6 खेत दूरी पर है अतः घटनास्थल और रामश्री अ.सा.3 का घर ज्यादा दूरी पर नहीं है जिससे वह घटना के समय घटनास्थल पर नहीं पहुंची यह नहीं बता सकता है।
30. प्रेमवती अ.सा.4 ने पैरा 10 में बताया है कि उसके कुल्हाड़ी से दोनों हाथों में चोट आई थी और सिर में चोट नहीं आई थी। परन्तु चिकित्सक द्वारा प्रेमवती अ.सा.4 के हाथ में कोई चोट उल्लिखित नहीं की गयी है और ललाट में चोट का उल्लेख किया गया है जबकि सिर में किसी भी चोट से प्रेमवती अ.सा.4 ने इंकार किया है। अमरसिंह अ.सा.2 के कथन से भी प्रेमवती अ.सा.4 की चोट स्पष्ट नहीं हुई है। रामश्री अ.सा.3 ने भी प्रेमवती अ.सा.4 की किसी चोट का उल्लेख नहीं किया है। फरियादी सुधाराम अ.सा.1 ने भी प्रेमवती अ.सा.4 के सिर में रमेश द्वारा कुल्हाड़ी मारा जाना बताया है जबकि प्रेमवती अ.सा.4 ने इस तथ्य से इंकार किया है। अतः किसी भी आहत साक्षी ने प्रेमवती अ.सा.4 की चोट की

संपुष्टि नहीं की है और ना ही रिपोर्ट प्र0पी-7 से प्रेमवती अ.सा.4 की चोट संपुष्टि होती है अपितु प्रेमवती अ.सा.4 के कथन से विरोधाभासी तथ्य स्पष्ट होते हैं। अतः आरोपीगण द्वारा प्रेमवती अ.सा.4 को उपहति पहुंचाये जाने के तथ्य अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित करने में असफल रहा है।

31. श्रीराम अ.सा.6 ने भी न्यायालयीन साक्ष्य में स्वयं को कोई चोट आना नहीं बताया है। जबकि चिकित्सक द्वारा साबित रिपोर्ट प्र0पी-6 में उसके तीन चोटों का उल्लेख है। आहत ही सर्वश्रेष्ठ रूप से उपहति स्पष्ट कर सकता था लेकिन वह ही कथन में मौन रहा है। सुधाराम अ.सा.1 ने श्रीराम अ.सा.6 के पैरों में उपहति पहुंचाया जाना बताया है जबकि स्वयं श्रीराम अ.सा.6 ने पैर में ऐसी चोट का उल्लेख नहीं किया है और ना ही अभियोजन ने उसे पक्षविरोधी घोषित किया है। अतः श्रीराम अ.सा.6 के कथन अभियोजन पर ही बंधनकारी हैं। अमरसिंह अ.सा. 2 ने भी विश्वसनीय साक्ष्य से श्रीराम अ.सा.6 की चोटों को स्पष्ट नहीं किया है। रामश्री अ.सा.3 ने श्रीराम अ.सा.6 के बांये पैर की पिंडली में चोट आना बताया है और रिपोर्ट प्र0पी-6 के अनुसार पीठ में चोट का उल्लेख नहीं किया है। प्रेमवती अ.सा.4 ने भी श्रीराम अ.सा.6 की चोटें स्पष्ट नहीं की हैं। अतः श्रीराम अ.सा.6 के कथन के अभाव में श्रीराम अ.सा.6 को उपहति पहुंचाये जाने के संबंध में अभियोजन कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में असमर्थ रहा है।
32. श्रीराम अ.सा.6 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा 2 में सुधाराम अ.सा.1 के सिर में कुल्हाड़ी मारे जाने को देखे जाने से इंकार किया है और दाहिने कंधे में भी चोट होने का स्पष्ट कथन नहीं कर सका है।
33. प्रेमवती अ.सा.4 ने पैरा 4 में और रामश्री अ.सा.3 ने पैरा 3 में इस आशय के तथ्य वर्णित किए हैं कि उन्होंने 20 साल पहले धनीराम व रमेश से चालीस हजार रुपये में खेत खरीदा था। उक्त दोनों ही साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि खेत पर उनका कब्जा नहीं है। परन्तु यह स्वीकार किया है कि विक्रय पत्र का दस्तावेज अस्तित्व में नहीं है। अमरसिंह अ.सा. 2 व सुधाराम अ.सा.1 ने भी प्रतिपरीक्षण में इस आशय के सुझावों को स्वीकार किया है कि विक्रय पत्र का दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। परन्तु किसी भी साक्षी ने विवादित खेत पर अपना स्थापित अधिपत्य होने से इंकार नहीं किया है। अतः यद्यपि वैध दस्तावेज से फरियादी व आहत को विवादित खेत पर स्वत्व प्राप्त नहीं था परन्तु सिविल कार्यवाही के दस्तावेज के अभाव में अधिपत्य प्राप्ति हेतु बचाव पक्ष द्वारा यह घटना कारित कर वैध कार्यवाही की यह नहीं माना जा सकता है।
34. श्रीमंत की उपस्थिति सुधाराम अ.सा.1 व अमरसिंह अ.सा.2 ने कथन में बतायी है उसके द्वारा यद्यपि स्वयं उपहति नहीं पहुंचायी गयी है परन्तु घटनास्थल पर उपस्थित होकर आरोपीगण को घटना कारित करने में संरक्षण प्रदान किया है जो उसका सामान्य आशय स्पष्ट करता है।
35. सुधाराम अ.सा.1 ने आरोपीगण द्वारा अश्लील शब्द उच्चारित किए जाने अथवा जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं किया है और ना ही अभियोजन द्वारा उक्त लोप को चुनौतीगत रखा गया है। अमरसिंह अ.सा.2 ने भी इस आशय का कोई कथन नहीं किया है और श्रीराम अ. सा.6 ने भी इस बिन्दु पर अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है अश्लील गालियां दिया जाना रामश्री अ.सा.3 और प्रेमवती अ.सा.4 ने भी नहीं बताया है।

रामश्री अ.सा.3 और प्रेमवती अ.सा.4 ने कटटे से धमकी दिया जाना बताया है जबकि उक्त तथ्य का उनके पुलिस कथन में लोप है जिसका रामश्री अ.सा.3 पैरा 2 में कारण बताने में असमर्थ रही है और प्रेमवती अ.सा.4 पैरा 10 में कोई कारण नहीं बता सकी है। अतः आपराधिक अभित्रास के संबंध में रामश्री अ.सा.3 और प्रेमवती अ.सा.4 भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं दे सकी है। विचारणीय प्रश्न के अनुसार अश्लील शब्द पर आपराधिक अभित्रास का अपराध प्रमुखतः सुधाराम अ.सा.1 के विरुद्ध ही घटित हुआ है परन्तु स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने सुधाराम अ.सा.1 को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया अथवा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

36. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से यह सिद्ध होता है कि निर्णय प्र0डी-1 के अनुसार इस प्रकरण के फरियादी व आहत सुधाराम अ.सा.1, अमरसिंह अ.सा.2, श्रीराम अ.सा.6 को भी इसी घटना से उद्भूत प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया गया है। विक्रय पत्र प्र0डी-8 के अनुसार विवादित खेत पर वादीगण को स्वत्व प्राप्त था। परन्तु अधिपत्य प्रमाणित करने के लिए सिविल न्यायालय का दस्तावेज अस्तित्व में होने के उपरान्त भी आरोपीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। जबकि घटनास्थल पर आरोपीगण की सकारण उपस्थिति प्रमाणित करने के लिए उक्त दस्तावेज आवश्यक प्रकृति का था जिसे पेश न किए जाने से बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा अन्यथा प्रमाणित होती है। घटनास्थल पर आरोपीगण फरियादी के पूर्व से उपस्थित थे यह किसी भी अभियोजन साक्षी ने स्वीकार नहीं किया है। अतः फरियादी व आहतगण ही आक्रमक थे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अपितु घटना में दोनों पक्ष द्वारा एकदूसरे को उपहति पहुंचाया जाना परिलक्षित होता है और बचाव पक्ष प्राइवेट प्रतिरक्षा प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः जबकि घटना फ्रीफाइट की श्रेणी में आती है तब अभियोजन को आरोपीगण की चोटें स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है और फरियादी व आहतगण की चोटें विश्वसनीय रूप से प्रमाणित करने पर आरोपीगण की चोटों के स्पष्टीकरण के अभाव में यह तथ्य अभियोजन मामले को दूषित नहीं करता है। घटना खेत की होने से स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव स्वाभाविक है और सुधाराम अ.सा.1, अमरसिंह अ.सा.2, रामश्री अ.सा.3 द्वारा स्वयं को और एकदूसरे को चोट पहुंचाये जाने के संबंध में उपरोक्त विवेचना अनुसार मुख्यपरीक्षण में दिए कथन भी प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं जिन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ है। विवेचक की साक्ष्य के अभाव में भी जबकि मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है और विवेचना दूषित होने के संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है तब विवेचक की साक्ष्य का अभाव अभियोजन मामले को संदेहास्पद नहीं बनाता है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन आरोपीगण द्वारा सुधाराम अ.सा.1, अमरसिंह अ.सा.2 व रामश्री अ.सा.3 को आरोपीगण द्वारा उपहति पहुंचाया जाना विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित कर सका है जिसकी संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी हुई है। परन्तु अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने प्रेमवती अ.सा.4 और श्रीराम अ.सा.6 को भी स्वेच्छा उपहति कारित की है।

37. परिणामतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आराध पर आरोपीगण को धारा 294, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

38. आरोपीगण को प्रेमवती अ.सा.4, व श्रीराम अ.सा.6 को स्वेच्छा उपहति

कारित करने का आरोप प्रमाणित न होने से आरोपी श्रीमंत, धनीराम, अर्जुन को धारा 323/34 भा.द.स. व आरोपी रमेश को धारा 323 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

39. आरोपीगण द्वारा सुधाराम अ.सा.1, अमरसिंह अ.सा.2 और रामश्री अ.सा.3 को धारदार हथियार व कुल्हाड़ी की मूठ से सामान्य आशय के अग्रसरण में उपहति पहुंचाया जाना प्रमाणित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप आरोपी श्रीमंत को धारा 324/34 दो बार, 323/34 दो बार भा.द.स. में, आरोपी धनीराम को धारा 323, 323/34, 324, 324/34 भा.द.स. में, आरोपी अर्जुन को धारा 323 दो बार, 324, 324/34 भा.द.स. में, आरोपी रमेश को धारा 323 दो बार, 324, 324/34 भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
40. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है।
41. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया आरोपीगण द्वारा भूमि के विवाद पर अभियोजित घटना घटित की गयी है जिसमें महिलाओं को भी उपहति पहुंचाई गयी है और सुधाराम अ.सा.1 व अमरसिंह अ.सा.2 को कुल्हाड़ी से उपहति पहुंचाई गयी है। अतः आरोपीगण का आचरण ऐसा नहीं है कि उन्हें परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
42. प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ देर बाद पेश हो।

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड 00प्र0

पुनश्च:

43. आरोपीगण के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनके द्वारा आरोपीगण का प्रथम अपराध होने से न्यूनतम सजा दिए जाने का निवेदन किया है।
44. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया।
45. आहत सुधाराम अ.सा.1 को धारदार हथियार से स्वेच्छा उपहति पहुंचाया जाना और कुल्हाड़ी की मूठ से स्वेच्छा उपहति पहुंचाया जाने का आरोप है जिसमें आरोपीगण को धारा 324, 324/34 भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। सुधाराम अ.सा.1 को उपहति पहुंचाये जाने के संबंध में धारा 323, 323/34 भा.द.स. का आरोप लघुत्तर प्रकृति का होने से धारा 71 भा.द.स. के अधीन सुधाराम अ.सा.1 को उपहति पहुंचाये जाने के आरोप में धारा 323 व 323/34 भा.द.स. के आरोप में प्रथक से दण्डादेश नहीं दिया जा रहा है।
46. अतः आरोपी श्रीमंत को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप में सुधाराम अ.सा.1 को उपहति पहुंचाये जाने के संबंध में एक वर्ष के सश्रम कारावास व तीन सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में 10 दिवस का कारावास अतिरिक्त भुगताया जाये। आरोपी श्रीमंत को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप में अमरसिंह अ.सा.2 को उपहति पहुंचाये

कारावास के दण्डादेश एक साथ भुगताये जायें।

50. प्रकरण में जप्त कुल्हाड़ी अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
51. प्रकरण में आरोपीगण निरोध में नहीं रहे हैं इस संबंध में धारा 428 द.प्र. स. का प्रमाण पत्र बनाया जाये।
52. धारा 357 द.प्र.स. के अधीन जमा अर्थदण्ड में से प्रत्येक आहत सुधाराम अ.सा.1, अमरसिंह अ.सा.2, व रामश्री अ.सा.3 को नौ सौ रुपये क्षतिपूर्ति अपील अवधि पश्चात दी जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)